

उत्तर हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड व अन्य

बनाम्

अदानी पावर (मुन्द्रा) लिमिटेड व अन्य

सिविल अपील संख्या - 4143/2020

अप्रैल 20, 2023

[बी. आर. गवई और विक्रम नाथ, जे. जे.]

1. अपीलकर्ता विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद "एपीटीईएल" के रूप में संदर्भित) द्वारा 3 नवंबर 2020 को पारित फैसले और आदेश को चुनौती देते हैं, जिससे उनके द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है और याचिका संख्या 97/एमपी/2017 में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में "सीईआरसी") द्वारा पारित किये गये 31 मई 2018 के फैसले और आदेश को बरकरार रखा जाता है।

2. संक्षेप में, वर्तमान अपील की उत्पत्ति से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं:

3. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (बाद में "हरियाणा यूटिलिटीज"/"अपीलकर्ता" के रूप में संदर्भित) हरियाणा राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली के वितरण और खुदरा आपूर्ति का कार्य करने वाले वितरण लाइसेंसधारी हैं। हरियाणा यूटिलिटीज ने गुजरात राज्य के मुंद्रा में अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड (इसके बाद "एपी (एम) एल") द्वारा स्थापित उत्पादन इकाइयों 7, 8 और 9 से 1424 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता की खरीद के लिए 7 अगस्त 2008 को "एपी (एम) एल" के साथ दो बिजली खरीद समझौते (संक्षेप में "पीपीए") किये थे।

4. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानक बोली दिशानिर्देशों के अनुसार, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत हरियाणा यूटिलिटीज द्वारा शुरू की गई टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसार पीपीए दर्ज किए गए थे।

5. एपी(एम)एल ने 5 जुलाई 2012 को सीईआरसी के समक्ष याचिका संख्या 155/एमपी/2012 दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आधारों पर टैरिफ में वृद्धि से राहत की मांग की गई थी। इसका एक कारण यह था कि इंडोनेशिया सरकार द्वारा प्रख्यापित इंडोनेशियाई विनियम, इंडोनेशिया से कोयले के निर्यात के लिए बेंचमार्क मूल्य लागू करने के प्रावधान के परिणामस्वरूप कोयले की उंची कीमत के परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई।

6. एपी(एम)एल ने अनुच्छेद 12 के दायरे में अप्रत्याशित घटना और पीपीए के अनुच्छेद 13 के दायरे में कानून में बदलाव का भी दावा किया था।

7. उक्त याचिका संख्या 155/एमपी/2012 में सीईआरसी द्वारा पारित दिनांक 2 अप्रैल 2013 और 21 फरवरी 2014 के आदेशों को एपीटीईएल के समक्ष अपीलों के एक बैच के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिनमें से प्रमुख 2013 की अपील संख्या 100 थी। 7 अप्रैल 2016 का आदेश विद्वान एपीटीईएल द्वारा 2013 की अपील संख्या 100 में पारित किया गया था और अपील के बैच को एनर्जी वॉचडॉग बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य के मामले में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने 11 अप्रैल 2017 को निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार उक्त अपीलों का निपटारा किया:

“57. दिनांक 31-7-2013 का पत्र और संशोधित टैरिफ नीति दोनों वैधानिक दस्तावेज हैं जो अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किए जा रहे हैं और कानून की शक्ति रखते हैं। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि जहां तक भारतीय कोयले की खरीद का सवाल है, इस हद तक कि कोल इंडिया और अन्य भारतीय स्रोतों से आपूर्ति में कटौती की जाती है, इन दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाने वाला पीपीए क्लॉज 13.2 में प्रदान करता है कि कानून में बदलाव के परिणाम निर्धारित करते समय, पार्टियों को इस सिद्धांत का उचित ध्यान रखना होगा कि कानून में ऐसे बदलाव से प्रभावित पार्टी को मुआवजा देने का उद्देश्य मासिक टैरिफ भुगतान के माध्यम से प्रभावित पार्टी की आर्थिक स्थिति बहाल करना है जैसे कि कानून में इस तरह का बदलाव नहीं हुआ। इसके अलावा, पीपीए की परिचालन अवधि के लिए, विक्रेता को लागत में किसी भी वृद्धि/कमी के लिए

मुआवजा निर्धारित किया जाएगा और केंद्रीय विद्युत विनियमन आयोग द्वारा तय की गई तारीख से प्रभावी होगा। यह मामला होने पर, हमारा विचार है कि हालांकि इंडोनेशियाई कानून में बदलाव पीपीए के साथ पढ़े गए दिशानिर्देशों के तहत कानून में बदलाव के रूप में योग्य नहीं होगा, भारतीय कानून में बदलाव निश्चित रूप से होगा।

58. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, इस फैसले के परिणामस्वरूप, मामले को नए सिरे से देखेगा और यह निर्धारित करेगा कि उन बिजली utpadakon को क्या राहत दी जानी चाहिए जो पीपीए के खंड 13 के अंतर्गत आते हैं जैसा कि हमारे द्वारा इस फैसले में माना गया है ।"

8. यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने, एनर्जी वॉचडॉग (सुप्रा) के मामले में, विशेष रूप से इस दावे को खारिज कर दिया कि इंडोनेशियाई नियमों में बदलाव के कारण कोयले की कीमत में वृद्धि भी कानून में बदलाव के समान होगी। इस न्यायालय ने माना कि भारत में केवल कानून में बदलाव ही उत्पादक को कानून में ऐसे बदलाव के कारण क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार बना देगा।

9. एनर्जी वॉचडॉग (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, एपी (एम) एल ने सीईआरसी के समक्ष याचिका संख्या 97/एमपी/2017 दायर की। सीईआरसी ने 31 मई, 2018 के आदेश के जरिए याचिका को स्वीकार कर लिया और 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए अपने फैसले की कंडिका 46 में दिए गए सुत्र के आधार पर राहत देने का निर्देश दिया। इसके बाद, एक समीक्षा याचिका क्रमांक 24/आरपी/2018 दायर की गई। इसे सीईआरसी ने 3 दिसंबर 2018 के आदेश के जरिए खारिज कर दिया था। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने विद्वान एपीटीईएल के समक्ष अपील की।

10. विद्वान एपीटीईएल ने विचार के लिए निम्नलिखित चार वाद पद गठित किए:

“ वाद पद संख्या 1:- क्या केंद्रीय आयोग का यह मानना उचित था कि अदानी पावर की बोली पूरी तरह से घरेलू कोयले की उपलब्धता पर आधारित थी और

इसलिए घरेलू कोयले की कमी के कारण कानून में बदलाव से राहत पाने का हकदार था?

वाद पद संख्या 2:- क्या घरेलू कोयले की कमी कानून में बदलाव के कारण हुई और मुआवजा एनसीडीपी 2013 में निर्दिष्ट एसीक्यू के 100% और एसीक्यू के 65%, 65%, 67% और 75% के बीच के अंतर तक सीमित होना चाहिए?

वाद पद संख्या 3:- क्या केंद्रीय आयोग द्वारा अनुमत कानून में बदलाव मुआवजे की आरंभ तिथि विद्युत मंत्रालय के दिनांक 31.07.2013 के पत्र के पूर्वव्यापी संचालन के बराबर है?

वाद पद संख्या 4:- क्या केंद्रीय आयोग ने याचिका संख्या 79/एमपी/2013 - जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड और अन्य बनाम डीएचबीवीएनएल एवं अन्य। ("जीएमआर केस") में अपने पहले के आदेश में निर्धारित कानून मुआवजे की गणना के लिए पद्धति की अनदेखी करने में गलती की है। ?

11. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, विद्वान एपीटीईएल ने सभी vaad pad को प्रतिवादी नंबर 1-उत्पादक के पक्ष में रखा और अपील को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है।

12. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एमजी रामचंद्रन और उत्तरवादी संख्या 1- एपी (एम) एल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. एएम सिंघवी को सुना है।

13. श्री रामचन्द्रन का मानना है कि सीईआरसी के साथ-साथ विद्वान एपीटीईएल ने 100% कोयले की उपलब्धता में कमी के लिए कानून में बदलाव से राहत देने में ghor गलती की है। उनका कहना है कि एपी (एम) एल की बोली और पीपीए दोनों घरेलू कोयले और आयातित कोयले पर 70:30 के अनुपात में आधारित थे। ऐसे में, राहत केवल वहीं तक दी जा सकती है जहां तक 70% घरेलू कोयले की कमी का सवाल है। उनका कहना है कि एपी(एम)एल ने इस आधार पर बोली प्रस्तुत की है कि 30% कोयला आयात किया जाएगा, जबकि 70% कोयला स्वदेशी रूप से खरीदा जाएगा। उनका कहना है कि

सीईआरसी और विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित आदेशों का प्रभाव यह है कि एपी (एम) एल को इस विचार पर लाभ दिया गया है कि उसकी बोली 100% घरेलू कोयले पर आधारित थी।

14. श्री रामचन्द्रन ने आगे कहा कि एपी(एम)एल की विभिन्न दलीलों पर गौर करने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि एपी(एम)एल की बोली 70:30 के अनुपात में घरेलू और आयातित कोयले पर आधारित थी। हालाँकि, इन सभी दस्तावेजों को विद्वान एपीटीईएल द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। श्री रामचंद्रन का कहना है कि रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से पता चलेगा कि एपी (एम) एल ने प्रतिनिधित्व किया था कि वह बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले का उपयोग करेगा। उनका कहना है कि एपी (एम) एल द्वारा प्रस्तुत बोली के कार्यकारी सारांश से पता चलेगा कि एपी (एम) एल ने उसमें प्रतिनिधित्व किया था कि पावर प्लांट का रणनीतिक लाभ मुंद्रा बंदरगाह से इसकी निकटता थी, जहां कोयले का आयात किया जा रहा है। विद्वान वकील का कहना है कि एपी (एम) एल की दलीलों के मद्देनजर, यह स्पष्ट था कि 30% आयातित कोयला खरीदने की जिम्मेदारी उसकी थी। इसलिए, उनका मानना है कि 30% आयातित कोयले की कमी के लिए राहत देना एक विकृति के अलावा और कुछ नहीं है।

15. श्री रामचन्द्रन ने आगे कहा कि कानून में बदलाव की घटना के कारण मुआवजे की गणना की पद्धति को भी सीईआरसी द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है और विद्वान एपीटीईएल द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। उनका मानना है कि जिस पद्धति को लागू किया जाना चाहिए था वह एक हिस्से में वैकल्पिक कोयले की पहुंच लागत और दूसरे हिस्से में घरेलू कोयले की प्रचलित पहुंच लागत या उद्धृत ऊर्जा शुल्क, जो भी अधिक हो, के बीच का अंतर था। उनका कहना है कि अगर कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ होता और एपी (एम) एल को घरेलू कोयले की पूरी मात्रा प्राप्त होती, तो उसे घरेलू कोयले की मौजूदा कीमत खुद ही वहन करनी पड़ती, भले ही ऐसी लागत कम हो या बोली में उद्धृत ऊर्जा शुल्क से ऊपर। उनका कहना है कि यदि घरेलू कोयले की ऐसी पहुंच लागत उद्धृत ऊर्जा शुल्क से अधिक है, तो एपी (एम) एल घरेलू कोयले की पहुंच लागत और उद्धृत ऊर्जा शुल्क के बीच अंतर का दावा करने का हकदार नहीं था।

16. श्री रामचन्द्रन ने आगे कहा कि विद्वान एपीटीईएल इस आधार पर आगे बढ़ने में गलत है कि याचिका संख्या 79/एमपी/2013-जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड एवं अन्य बनाम डीएचबीवीएनएल एवं अन्य। (इसके बाद इसे "जीएमआर केस" कहा जाएगा) में उसके आदेश में निर्धारित कानून में बदलाव के मुआवजे की गणना की पद्धति पर सीईआरसी के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

17. श्री रामचन्द्रन ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को स्वदेशी रूप से खरीदे जाने वाले 70% कोयले की कमी के लिए कानून में बदलाव के कारण लाभ देने में कोई आपत्ति नहीं है।

18. इसके विपरीत, डॉ. एएम सिंघवी का मानना है कि एपी (एम) एल द्वारा प्रस्तुत बोली राष्ट्रीय कोयला वितरण नीति, 2007 (संक्षेप में, "एनसीडीपी 2007") के आधार पर थी। उनका कहना है कि 70% घरेलू कोयले और 30% आयातित कोयले के संबंध में बोली में कोई विभाजन नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि कानून में बदलाव के दावे के लिए कट-ऑफ तारीख 17 नवंबर 2007 होगी, यानी बोली जमा करने की आखिरी तारीख यानी 24 नवंबर 2007 से 7 दिन कम। यह प्रस्तुत किया गया है कि 7 अगस्त 2008 को हरियाणा यूटिलिटीज के साथ हस्ताक्षरित पीपीए में भी घरेलू और आयातित कोयले का कोई विभाजन नहीं किया गया। उनका कहना है कि हालांकि स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) (बाद में इसे "एसएलसी (एलटी)" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने अपनी कुल क्षमता के 100% कोयले के लिए एपी (एम) एल के आवेदन पर विचार किया है, लेकिन इसने केवल 1980 मेगावाट की 70% के लिए लिंकेज की अनुमति दी है। यानी 1386 मेगावाट ही। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शेष 30% का लिंकेज भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया था।

19. डॉ. सिंघवी ने आगे कहा कि एसएलसी (एलटी) एक वैधानिक निकाय है और इसका निर्णय कानून में बदलाव के समान होगा। इस संबंध में, वह अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं।

20. जब हमने विद्युत अपीलों के इस बैच को सुना, तो सभी पक्षों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि इस न्यायालय को पहले 2021 की सिविल अपील संख्या 684 (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और अन्य) [संक्षेप में एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य] और 2021 की सिविल अपील संख्या 6927 (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड और अन्य) पर फैसला करना चाहिए। बैच में शामिल सभी appealon में तीन मुद्दे आम थे। यह प्रस्तुत किया गया कि उन दो अपीलों का निर्णय तीन सामान्य मुद्दों पर निर्णय लेकर किया जा सकता है। हालाँकि, जहाँ तक अन्य अपीलों का सवाल है, यह प्रस्तुत किया गया था कि, तीन सामान्य मुद्दों के अलावा, कुछ अतिरिक्त मुद्दे भी शामिल थे और इस बात पर सहमति हुई कि उन दो अपीलों पर निर्णय होने के बाद, इन अतिरिक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए अन्य अपीलों को सुना जाना चाहिए।

21. उक्त तीन सामान्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

(i) क्या एनसीडीपी 2013 के कारण 'कानून में बदलाव' राहत 'वास्तविक' पर होनी चाहिए। जबकि एनसीडीपी 2007 के अनुसार 100% मानक कोयला आवश्यकता का आश्वासन दिया गया है या एनसीडीपी 2013 में ट्रिगर स्तर सुनिश्चित कोयला मात्रा (एसीक्यू) का 65%, 65%, 67% और 75% तक सीमित है?

(ii) क्या 'कानून में बदलाव' राहत की गणना के लिए, ऑपरेटिंग मापदंडों को 'वास्तविक' या बोली में प्रस्तुत तकनीकी जानकारी के अनुसार माना जाएगा?

(iii) क्या 'कानून में बदलाव' राहत मुआवजा 1 अप्रैल 2013 (वित्तीय वर्ष की शुरुआत) या 31 जुलाई 2013 (एनसीडीपी 2013 की तारीख) से दिया जाना है?

22. एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य (सुप्रा) के मामले में 3 मार्च 2023 के फैसले और आदेश के तहत पक्षों के सभी विद्वान वकीलों को व्यापक रूप से सुनने के बाद, इस न्यायालय ने उपरोक्त तीन मुद्दों पर विचार करने के बाद उन दो अपीलों का फैसला किया।

23. पहले मुद्दे का उत्तर इस न्यायालय द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि घरेलू कोयले की कमी के लिए 'कानून में बदलाव' राहत 'वास्तविक' पर होनी चाहिए, यानी एनसीडीपी, 2007 के संदर्भ में सुनिश्चित मानक कोयला आवश्यकता के 100% के विपरीत। जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, यह माना गया कि स्टेशन ताप दर (संक्षेप में "एसएचआर") और सहायक खपत को विनियमों या वास्तविक, जो भी कम हो, के अनुसार माना जाना चाहिए। तीसरे मुद्दे का उत्तर यह कहते हुए दिया गया कि एनसीडीपी, 2013 के लिए 'कानून में बदलाव' कार्यक्रम की आरंभ तिथि 1 अप्रैल 2013 है।

24. इस प्रकार वाद पद संख्या 2 और 3, जो विद्वान एपीटीईएल द्वारा 3 नवंबर 2020 के प्रश्नगत निर्णय और आदेश में तैयार किए गए थे, एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए हैं। (सुप्रा)। वर्तमान अपील में विचार किए जाने वाले शेष दो मुद्दे इस प्रकार हैं:

वाद पद संख्या 1:- [जैसा कि विद्वान एपीटीईएल द्वारा तैयार किया गया है]	क्या केंद्रीय आयोग का यह मानना उचित था कि अदानी पावर की बोली पूरी तरह से घरेलू कोयले की उपलब्धता पर आधारित थी और इसलिए वह घरेलू कोयले की कमी के कारण कानून में बदलाव से राहत का हकदार थी?
वाद पद संख्या 4:- [जैसा कि विद्वान एपीटीईएल द्वारा तैयार किया गया है]	क्या केंद्रीय आयोग ने याचिका संख्या 79/एमपी/2013 - जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड और अन्य बनाम डीएचबीवीएनएल एवं अन्य। ("जीएमआर केस") में अपने पहले के आदेश में निर्धारित कानून मुआवजे की गणना के लिए पद्धति की अनदेखी करने की गलती की है। ?

25. इससे पहले कि हम उपरोक्त दो मुद्दों पर विचार करें, हम ध्यान दें कि वर्तमान अपील सीईआरसी और विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित समवर्ती आदेशों से उत्पन्न हुई है।

26. इस न्यायालय ने, एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य (सुप्रा) के मामले में, सीईए, सीईआरसी और विद्वान एपीटीईएल जैसे विभिन्न विशेषज्ञ निकायों के गठन के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह माना कि ये निकाय क्षेत्र के विशेषज्ञों से युक्त निकाय हैं। इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“123. हाल ही में, विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है कि न्यायालयों को क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए और जब तक यह पाया न जाए कि विशेषज्ञ निकाय अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहे या लिए गए निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित हैं या वे प्रथम दृष्टया मनमाने और अवैध हैं, इस न्यायालय के लिए विशेषज्ञ निकायों के विचारों के साथ अपने विचारों को प्रतिस्थापित करना उचित नहीं होगा।

27. यद्यपि वर्तमान अपील सीईआरसी के साथ-साथ एपीटीईएल द्वारा पारित समवर्ती आदेशों से उत्पन्न हुई है, प्रस्तुत प्रस्तुतियों के मद्देनजर, हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

28. जहां तक 70% घरेलू और 30% आयातित कोयले के विभाजन के संबंध में पहले मुद्दे का सवाल है, हमने पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों की जांच की है।

29. रिकॉर्ड पर रखे गए किसी भी दस्तावेज से यह पता नहीं चालता है कि एपी (एम) एल द्वारा एक प्रतिनिधित्व दिया गया था कि उसकी बोली 70% घरेलू और 30% आयातित कोयले पर आधारित है। जहां तक उस दस्तावेज का सवाल है जिस पर श्री रामचन्द्रन ने भरोसा किया है यानी बोली के कार्यकारी सारांश का संबंध है, वह इस प्रकार है:

“एपीएल की प्रमोटर अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड देश की सबसे बड़ी कोयला आयातक कंपनी है। पावर प्लांट का रणनीतिक लाभ मुंद्रा बंदरगाह से इसकी निकटता है, जहां कोयले का आयात किया जा रहा है। मुंद्रा बंदरगाह के पास 17 मीटर गहरे ड्राफ्ट के साथ विश्व स्तरीय कोयला प्रबंधन सुविधाएं हैं, जो उलटे जहाजों को साथ में खड़ा करने की अनुमति देती हैं।”

30. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एपी (एम) एल द्वारा कार्यकारी सारांश में जो कहा गया है वह यह है कि इसके पावर प्लांट को रणनीतिक लाभ था क्योंकि इसकी मुंद्रा बंदरगाह से निकटता थी। इसमें आगे कहा गया है कि मुंद्रा पोर्ट के पास 17 मीटर गहरे ड्राफ्ट के साथ विश्व स्तरीय कोयला प्रबंधन सुविधाएं हैं, जो उलटे जहाजों को साथ में खड़ा करने की अनुमति देती हैं। उक्त दस्तावेज़ के अनुसार, उसने मुंद्रा परियोजना के 1980 मेगावाट (3 x 660 मेगावाट) चरण IV विस्तार से हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) को 1425 मेगावाट की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रतिनिधित्व दिया गया कि यह आयातित या स्वदेशी कोयले का उपयोग करेगा।

31. यदि अपीलकर्ताओं के तर्क को स्वीकार किया जाए कि बोली के समय घरेलू कोयला आपूर्ति का कोई आश्वासन नहीं था, तो अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि एपी (एम) एल 70% कोयले की कमी का हकदार है स्वयं में ही विरोधाभासी है।

32. किसी भी मामले में, तथ्यों पर भी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विवाद में कोई दम नहीं है। एपी(एम)एल ने 1980 मेगावाट क्षमता वाली मुंद्रा परियोजना के चौथे चरण के विस्तार से 1425 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने की पेशकश की है। हरियाणा यूटिलिटीज और एपी(एम)एल के बीच हुआ पीपीए 1424 मेगावाट के लिए है।

33. एसएलसी (एलटी) ने 12 नवंबर 2008 की अपनी बैठक में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (संक्षेप में "सीईए") की सिफारिश के आधार पर, विद्युत मंत्रालय (संक्षेप में "एमओपी") ने 1386 मेगावाट हेतु एलओए जारी करने को अधिकृत किया था जो मुंद्रा परियोजना के चरण IV विस्तार की यानी 1980 मेगावाट की 70% स्थापित क्षमता थी। यह एनसीडीपी 2007 के प्रावधानों के अनुसार किया

गया था। जहां तक शेष क्षमता का सवाल है, एमओपी की सिफारिश और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर भविष्य में एसएलसी (एलटी) द्वारा निर्णय लेने के लिए टाल दिया गया था।

34. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एपी (एम) एल कानून में बदलाव के कारण लाभ का हकदार होगा यदि घरेलू कोयले में 70% की कोई कमी थी जैसा कि एसएलसी (एलटी) की बैठक दिनांक 12 नवंबर 2008 द्वारा आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया, कोयला मंत्रालय (संक्षेप में, "एमओसी") के द्वारा 25 जून 2009 को एक एलओए जारी करने और एपी (एम) एल द्वारा CIL के साथ दिनांक 9th june, 2012 को ईंधन आपूर्ति समझौते (संक्षेप में, "एफएसए") पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुई।

35. निर्विवाद रूप से, एपी (एम) एल का दावा 70% की सुनिश्चित मात्रा में कमी के संबंध में है, न कि उससे ऊपर।

36. विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित आदेश से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं का यह लगातार रुख रहा है कि एपी (एम) एल ईंधन लिंकेज से 1424 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता उत्पन्न करने और आपूर्ति करने की स्थिति में था jaisa ki महानदी कोल फील्ड लिमिटेड (संक्षेप में "एमसीएल") के साथ 9 जून 2012 के एफएसए में तय किया गया था । उसका रुख रहा है कि एपी(एम)एल को पहले अपीलकर्ताओं की अनुबंधित क्षमता के लिए संपूर्ण घरेलू कोयले की उपलब्धता का उपयोग करना चाहिए, और फिर घाटे को लक्षित पीएलएफ तक पहुंचने के लिए आयातित कोयले का उपयोग करना चाहिए। उसका यह भी रुख रहा है कि उपलब्ध संपूर्ण घरेलू कोयले का हिसाब हरियाणा यूटिलिटीज को अनुबंधित 1424 मेगावाट में किया जाना चाहिए।

37. 31 जुलाई 2017 को अपने उत्तर में, हरियाणा यूटिलिटीज ने स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा है:

"इस प्रकार अप्रत्याशित घटना के तहत राहत के उद्देश्य से एमसीएल से प्राप्त वास्तविक कोयले को हरियाणा पीपीए के तहत आपूर्ति की गई बिजली के लिए माना जाना आवश्यक है।"

38. याचिका संख्या 97/एमपी/2017 में दिनांक 4 मार्च 2018 के अपने आई ए नंबर 12/2018 में, हरियाणा यूटिलिटीज ने इस प्रकार दोहराया है:

“यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 9.6.2012 के एफएसए के तहत एमसीएल से उपलब्ध घरेलू कोयले की पूरी मात्रा का उपयोग विशेष रूप से पीपीए दिनांक 7.8.2008 के तहत हरियाणा यूटिलिटीज को बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के लिए किया जाना था।

39. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्वान एपीटीईएल ने सुनवाई के दौरान, हरियाणा यूटिलिटीज के लिए उपस्थित विद्वान वकील से एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा था कि क्या एमसीएल से प्राप्त संपूर्ण वास्तविक कोयले का उपयोग हरियाणा पीपीए के तहत आपूर्ति की गई बिजली के लिए किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया:

"सुनवाई के दौरान, श्री रामचंद्रन ने स्वीकार किया कि अदानी पावर एमसीएल से प्राप्त संपूर्ण वास्तविक कोयले का उपयोग हरियाणा पीपीए के तहत आपूर्ति की गई बिजली के लिए कर रहा है"

40. इस तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि संपूर्ण घरेलू कोयला लिंगेज का उपयोग हरियाणा यूटिलिटीज को बिजली की आपूर्ति के लिए किया जाना था, हमारी राय में, हरियाणा यूटिलिटीज की ओर से यह कहना अन्यायपूर्ण है कि स्थापित क्षमता का 70% होना चाहिए। इसे और अधिक विभाजित किया गया है और कानून में बदलाव का लाभ एसएलसी (एलटी) द्वारा आवंटित 70% स्थापित क्षमता के केवल 70% तक ही सीमित किया जाना चाहिए।

41. यहां तक कि हरियाणा यूटिलिटीज के अनुसार, एफएसए के तहत कवर किए गए पूरे कोयले का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए jise समझौता जापन (संक्षेप में "एमओयू") के अनुसार उन्हें आपूर्ति करने हेतु किया जाना आवश्यक था। इसलिए, हमारे विचार में, एफएसए के तहत सुनिश्चित कोयले की कमी के लाभ से इनकार करना, पुनर्स्थापन सिद्धांत के विपरीत होगा, जैसा कि इस न्यायालय ने एनर्जी वॉचडॉग (सुप्रा) और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड और दूसरा के मामलों में माना है।

42. किसी भी मामले में, विद्वान एपीटीईएल ने स्पष्ट किया है कि एपी (एम) एल न तो दावा कर रहा था और न ही लिंकेज कोयले, यानी 1386 मेगावाट से आक्षादित मात्रा से अधिक कानून में बदलाव के मुआवजे का दावा करने का हकदार था।

43. इस संबंध में तर्क का दूसरा पहलू यह है कि एपी (एम) एल ने कोयले के आयात के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन किया था।

44. विद्वान एपीटीईएल के एक विशिष्ट प्रश्न पर, हरियाणा यूटिलिटीज के विद्वान वकील ने यह स्वीकार किया कि समझौता ज्ञापन प्रकृति में सामान्य थे और चरण IV मुंद्रा पावर प्लांट के लिए विशिष्ट नहीं थे। इस प्रकार, एपीटीईएल का निष्कर्ष कि बोली के साथ संलग्न एमओयू केवल बोली में भाग लेने के लिए अपनी क्षमता दिखाने के लिए थे, और इसे यह मानने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है कि बोली लगाने वाले को 30% की सीमा तक आयातित कोयला खरीदना था परियोजना के लिए, विकृत नहीं कहा जा सकता।

45. एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों को विस्तृत रूप से संदर्भित किया है और इस प्रकार देखा है:

“132. निर्विवाद रूप से, एनर्जी वॉचडॉग (सुप्रा) के मामले के साथ-साथ अदानी राजस्थान मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना है कि कानून में बदलाव के कारण, उत्पादन कंपनियां मुआवजे की हकदार थीं ताकि पार्टी को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल किया जा सके मानो कानून में ऐसा परिवर्तन हुआ ही न हो। यदि कानून में बदलाव नहीं हुआ होता, तो उत्पादन कंपनियां एफएसए के तहत सीआईएल/कोयला कंपनियों द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार आपूर्ति की हकदार होतीं।”

46. इसलिए, हमारा मानना है कि समवर्ती निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है कि एपी (एम) एल अनुबंधित क्षमता के 100% यानी 1386 मेगावाट के लिए कानून में बदलाव की राहत का हकदार था, जो कि मुंद्रा परियोजना के चरण IV विस्तार की स्थापित क्षमता 1980 मेगावाट का 70% है। दूसरे शब्दों में, सीईआरसी और विद्वान एपीटीईएल का निष्कर्ष यह है कि एपी (एम) एल

स्थापित क्षमता के 70% यानी 1386 मेगावाट से अधिक कानून में बदलाव के किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित नहीं हैं, या बाहरी विचारों पर आधारित हैं।

47. अब हमारे पास कार्यप्रणाली के संबंध में दूसरा मुद्दा बचा है।

48. हरियाणा यूटिलिटीज की शिकायत यह है कि सीईआरसी द्वारा अपनाए गए और विद्वान एपीटीईएल द्वारा अनुमोदित कानून में बदलाव के कारण लाभ देने की पद्धति जीएमआर, डीबी पावर वगैरह के पहले के मामलों में तय की गई पद्धति के विपरीत है।

49. विद्वान एपीटीईएल द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि एपी (एम) एल ने जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड और अन्य बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य याचिका में सीईआरसी द्वारा अनुमोदित पद्धति के आधार पर पीपीए के तहत उद्धृत टैरिफ को आधार मानते हुए एक पद्धति का प्रस्ताव दिया था।

50. विद्वान एपीटीईएल ने 10 अगस्त, 2017 के सीईआरसी की कार्यवाही के रिकॉर्ड का हवाला दिया था, जो इस प्रकार है:

“3. आयोग के इस सवाल के जवाब में कि क्या जीएमआर मामले में दी गई कार्यप्रणाली के आलोक में याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई पद्धति हरियाणा यूटिलिटीज के लिए स्वीकार्य है, विद्वान वकील ने सकारात्मक उत्तर दिया।

51. विद्वान एपीटीईएल ने याचिका संख्या 97/एमपी/2017 में 2017 के आई ए नंबर 57/2017 में सीईआरसी के 28 सितंबर 2017 के आदेश का भी उल्लेख किया था, जो इस प्रकार है:

“7.....हरियाणा यूटिलिटीज, जो एकमात्र प्रतिवादी है, ने आवेदक द्वारा की गई गणना पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।”

52. विद्वान एपीटीईएल ने समीक्षा याचिका संख्या 24/आरपी/2018 में सीईआरसी द्वारा पारित 3 दिसंबर 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया था, जो इस प्रकार है:

"25... उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आयोग ने अदानी पावर और प्रयास की दलीलों पर उचित विचार करने के बाद, 1.4.2013 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए कानून में बदलाव के तहत घरेलू कोयले की कमी के कारण राहत की गणना के लिए आक्षेपित आदेश के पैरा 46 में निर्णय लिया था। समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने घरेलू कोयले की कमी के कारण राहत की गणना की कोई पद्धति का सुझाव नहीं दिया था। दूसरी ओर, समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने याचिका संख्या 97/एमपी/2017 में अपने उत्तर दिनांक 28.7. 2017 में कहा गया था कि "जीएमआर के निर्णय पर निर्भरता पूरी तरह से उचित है"। समीक्षा याचिकाकर्ता अब कानून में बदलाव के तहत राहत की गणना के लिए एक वैकल्पिक फॉर्मूला सुझा रहे हैं। जैसा कि आदेश के पहले भाग में पहले ही दोहराया गया है समीक्षा का उपयोग पहले से लिए गए दृष्टिकोण को नए दृष्टिकोण से बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस आधार पर समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं है।"

53. हमने पाया है कि हरियाणा यूटिलिटीज अनुमोदन और पुनर्परीक्षण में लिप्त हैं। उन्हें एक ही मय में कभी हाँ और कभी ना कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सीईआरसी के समक्ष यह स्वीकार करने के बाद कि वे जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में दी गई पद्धति को अपनाएंगे, हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं के लिए यह उचित नहीं होगा, जो आखिरकार, सरकार के माध्यम से हैं. सीईआरसी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने के बाद अपना रुख बदलना ।

54. एमएसईडीसीएल बनाम एपीएमएल और अन्य (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"150. इस कानूनी स्थिति और भारत संघ द्वारा अपनाए गए रुख के बावजूद, डिस्कॉम एक ऐसा रुख अपना रहे हैं जो भारत संघ के रुख के विपरीत है। एनर्जी वॉचडॉग (सुप्रा) में, डिस्कॉम्स द्वारा यह भी आग्रह किया गया था कि कानून में बदलाव के कारण भी समायोजन की अनुमति नहीं होगी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें नियामक निकाय और अपीलीय फोरम द्वारा पारित समवर्ती आदेशों की

आलोचना की गई है। इस तरह का मुकदमा, वास्तव में, विद्युत अधिनियम के उद्देश्य को खत्म कर देगा। जैसा कि ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, विद्युत अधिनियम के अधिनियमन का एक प्रमुख कारण राज्य विद्युत बोर्डों के प्रदर्शन में गिरावट थी।

55. वर्तमान मामले में भी, हम पाते हैं कि दो विशेषज्ञ निकायों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता था यदि वे अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहे या यदि उनके द्वारा बाहरी विचार से निर्णय लिए गए थे या कि वे प्रथम दृष्टया मनमाने और अवैध थे। प्रश्नगत निर्णय और आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जा सकता जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

56. इसलिए, अपील को तथ्यहीन पाया गया और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया। कोई खर्च नहीं.

(विरेन्द्र कुमार तिवारी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोडरमा